

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-08042020-219025
SG-DL-E-08042020-219025

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69]	दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2020/चैत्र 19, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 02
No. 69]	DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2020/CHAITRA 19, 1942	[N.C.T.D. No. 02

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

x'g i f'yl & 2½ foHkx

vf/kl i'puk

दिल्ली, 7 अप्रैल, 2020

Lk: Ok-@2@1@1988@x'g i f'yl & 2@[k.M&A@775&78.—चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है :

इसलिये, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 के खण्ड (ई) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि दिल्ली पुलिस आयुक्त भी 19@04@2020 l s 18@07@2020 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) की शक्तियों का प्रयोग निरोध प्राधिकारी के रूप में कर सकते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश तथा उनके नाम पर,

डी. एन. सिंह, विशेष सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 7th April, 2020

No. F.2/1/88-HP-II/ Pt.-I/775-78.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is necessary to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3, read with clause (e) of Section 2 of the National Security Act, 1980, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during the period **19/04/2020 to 18/07/2020** the Commissioner of Police, Delhi may also exercise the powers of detaining authority under sub-section (2) of the section 3 of the aforesaid Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

D.N. SINGH, Spl. Secy. (Home)